दिनांक 03.12.2007 को मुख्यालय पर सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

क्र0	विवरण	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
1.	उपस्थिति	संलग्न के अनुसार
2.	सम्बोधन	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना में वर्ष 2007–08 हेतु चयनित सम्पर्क मार्गो में अर्थ वर्क का कार्य ग्राम विकास विभाग विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गो पर मिट्टी का कार्य अपने वित्तीय संसाधनों से करायेगा अतः अम्बेडकर ग्रामों के चयनित मार्गो की स्वीकृतियाँ निर्गत होते ही यह प्रयास किया जाय कि उक्त योजना से अर्थ वर्क का कार्य पूर्ण करा लिया जाय ताकि निर्धारित अवधि दिनांक 21.03.2008 तक मण्डी परिषद को आबंटित सम्पर्क मार्गो का कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराया जा सके। नोडल विभाग / लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना में सम्पर्क मार्गो का आवंटन किये जाने की तिथि से एक सप्ताह में सभी स्वीकृतियाँ जारी करा दी जाये। इस सम्बन्ध में नोडल विभाग / लोक निर्माण विभाग से मुख्य अभियन्ता, वित्त नियंत्रक के साथ बैठक कर लें। उप निदेशक (नि0) स्थलीय निरीक्षण कर आगणन तैयार करायें ताकि उनकी स्वीकृतियाँ मुख्यालय से निर्गत कराई जा सकें।
3.	भूमि अधिग्रहण	➢ पिलखुआ (गाजियाबाद) में मण्डी स्थल का निर्माण कराने हेतु कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (प्रशा0 / विप0 / निर्माण), मेरठ / गाजियाबाद) ➢ खागा (फतेहपुर) की अधिग्रहीत भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया है, निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (निर्माण), बांदा) ➢ उप मण्डी स्थल खलीलाबाद के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया है अतः वहाँ भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (निर्माण), बस्ती) ➢ नौगढ़ मण्डी का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (निर्माण), बस्ती) ➢ मझनपुर मण्डी के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्रता से करायी जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (प्रशा0 / विप0–भू0अ0) ➢ उप निदेशक (निर्माण) इलाहाबाद द्वारा बताया गया कि प्रतापगढ़ मण्डी क्षेत्र में शिवगढ़ स्थान पर तथा इलाहाबाद मण्डी क्षेत्रान्तर्गत हथिगहाँ व नारीबारी में मण्डी स्थल निर्माण हेतु कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (प्रशा0 / विप0–भू0अ0)
4.	सामान्य निर्देश	➢ बैठक में उप निदेशक (निर्माण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि मण्डी परिषद द्वारा निर्मित कराये जा रहे सम्पर्क मार्गो में लेविलिंग / ड्रेसिंग हेतु अर्थ वर्क मद में रू0 60,000/– प्रति किलोमीटर की लागत से कार्य कराये जाने का प्राविधान है। इस लागत को संशोधित किये जाने की मांग पर निर्देशित किया गया कि श्री हरीराम, उप निदेशक (निर्माण) रामपुर, श्री बी0आर0 सिंह, उप निदेशक (निर्माण) मेरठ तथा श्री अशोक कुमार, उप निदेशक (निर्माण) इलाहाबाद की समिति इस सम्बन्ध में संस्तुति / आख्या उपलब्ध करायें। (कार्यवाही– उप निदेशक (निर्माण) रामपुर / मेरठ / इलाहाबाद) ➢ डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना में मार्गो का निर्माण शासनादेश के प्राविधानान्तर्गत कराया जाये। (कार्यवाही– समस्त उप निदेशक (निर्माण) ➢ मा0 कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री जी द्वारा जिला स्तर पर जो बैठकें ली जाती हैं उनमें सम्बन्धित उप निदेशक (प्रशा0 / विप0) एवं उप निदेशक (निर्माण) अनिवार्य रूप से सम्मिलित हों। (कार्यवाही– समस्त उप निदेशक (प्रशा0 / विप0 / निर्माण) ➢ प्रदेश की मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व निर्मित मार्ग जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनका तत्काल सर्वेक्षण कराकर उन मार्गो की मरम्मत हेतु आवश्यकतानुसार आगणन प्रस्तुत करें। (कार्यवाही– समस्त उप निदेशक (निर्माण)

2953
18.12.07
10/12/07

क्र0	विवरण	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
		➢ प्रदेश में निर्मित मण्डी स्थल / उप मण्डी स्थलों में दुकानों के किराये में एकरूपता लाये जाने हेतु दुकानों के किराया निर्धारण पर पुनर्विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। (कार्यवाही– उप निदेशक (प्रशा0 / विप0–बी0)
		➢ सण्डीला मण्डी क्षेत्रान्तर्गत निर्मित सडके काफी जर्जर हैं अतः इनकी जांच कराये जाने का निर्देश मा0 लोक निर्माण मंत्री एवं मा0 राज्य मंत्री कृषि द्वारा दूरभाष पर आदेश दिये गया है। अतः तत्काल इन सड़कों की जाच करा ली जाये। (कार्यवाही– मुख्य अभियन्ता)
		➢ सिरसा मण्डी में व्यापार स्थानान्तरित कराये जाने की कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (प्रशा0 / विप0) इलाहाबाद)
		➢ छिबरामऊ मण्डी का मरम्मत कार्य कराया जाये। (कार्यवाही– उप निदेशक (निर्माण) फर्रुखाबाद)
		➢ जिन मण्डी स्थलों में मरम्मत कार्य कराये जाने की आवश्यकता हो उनके आगणन शीघ्र स्वीकृति हेतु मुख्यालय पर प्रस्तुत किये जाय। (कार्यवाही– समस्त उप निदेशक (निर्माण)
		➢ हरदोई मण्डी में मण्डी शुल्क की चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई है। उप निदेशक (प्रशा0 / विप0) लखनऊ सम्भाग तत्काल इसकी जॉच करके आख्या प्रस्तुत करें। (कार्यवाही– अपर निदेशक (प्रशासन)
		➢ निर्माण कार्यों में कृत कार्यों का ही भुगतान किया जाय। कोई अग्रिम भुगतान ठेकेदार को न किया जाय। मुख्यालय को जो प्रगति भेजी जाये वह वास्तविक हो यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। (कार्यवाही– समस्त उप निदेशक (निर्माण)
		➢ सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। (कार्यवाही– समस्त उप निदेशक (निर्माण)
		➢ प्रदेश में निर्माणाधीन विकास कार्यों की जांच मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी समय–समय पर की जाय ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जा सके। (कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता)

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(अमृत अभिजात)
मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या मु0अभि0(सभी0बै0–3881/07–2432 दिनांक 17-12- 2007

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
2- मुख्य अभियंता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4- समस्त स0 उप निदेशक (प्रशासन / विपणन) मण्डी परिषद, उ0प्र0।
5- समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
6- समस्त उपनिदेशक (निर्माण / वि0–यॉ0) मण्डी परिषद, उ0प्र0।
7- प्रोग्रामर, मण्डी परिषद, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि इसे परिषद की वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें।
8- गार्ड फाइल हेतु।

(एम0एस0 सिद्दीकी)
वित्त नियंत्रक